अतः पत्रा
043-46 प्रार्थी
कॉम घास कु
द्वारा प्र
12 दू
के

दिनांक 4-5-23 । पत्रावली राज्य सरकार व राजस्व मण्डल ... रा जारी आदेशानुसार नियत तिथि से पूर्व ... ाई। सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी कि... तथा वकील अभिभाषकगण को सूचित किया ... नियत तिथी को पूर्व दिनांक 10/5/23 पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
अराई

निo तेजा सिंह उर्फ नाहर सिंह

हिम्मत सिंह

बजरंग सिंह

शैतान सिंह

मानसिंह

10/5/23 PG/CS कैम्प सीरोता

पत्रावली आज दि. 10-5-2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प सीरोता में मजमे आम में पेश हुई। प्रार्थी रघुबीर सिंह व अप्रार्थी सं. 4, 5, 7, 10, 11 उपस्थित हुए प्रार्थी ने ग्राम गूजरवाडा की जमाबंदी संवत् 2041 व 2043-46 में अंकित अनुसार वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं 72 (ख. सं. 149 व 277) में अंकित प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रघुबीर सिंह पुत्र कानसिंह हि० 1/4 के स्थान पर शुद्ध नाम रघुबीर सिंह पुत्र आनन्द सिंह हि० 1/4 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया शिविर में उपस्थित अप्रार्थी सं. 4, 5, 7, 10, 11 ने भी प्रार्थी के कथन से सहमति जाहिर कर प्रार्थी के पिता का नाम कानसिंह नहीं होकर आनन्द सिंह होना बताया एवं पूर्व में दि. 12-4-2023 को अपनी व अन्य सभी अप्रार्थीगणों की ओर से लिखित जवाब व सहमति न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया है। अप्रार्थी सं. 12 [illegible] अराई (पैरोकार-सरकार) ने जवाब प्रस्तुत [illegible] संवत् 2041 व 2043-46 [illegible] का नाम आनन्द सिंह दर्ज था जो सहवन से जमाबंदी संवत् 2047-50 में कानसिंह दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 12 को कोई आपत्ति नहीं होना जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं. 12 का जवाब शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:45 IST
Reason: SelfAttested

त: पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत् 2051
,543-56 प्रार्थी के पत्चात दस्तावेजों, आधारकार्ड, राशनकार्ड
कॉक पास बुक, छवि भी पास बुक, अप्रार्थी सं. 1 से 11 तक
द्वारा प्रस्तुत सहमति/अनापत्ति के अनुसार व अप्रार्थी सं.
12 द्वारा तहसीलदार अरांई द्वारा प्रस्तुत जबाब सरकार
के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर ग्राम गूजरवाडा की वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी
खा. सं. 72 (ख. सं. 149 व 217) में प्रार्थी का नाम -
रघुवीरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत हि० 1/4 के
स्थान पर रघुवीरसिंह पुत्र आनन्दसिंह जाति राजपूत हि० 1/4
दर्ज कर शुद्धि किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।
तहसीलदार अरांई आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में
अमल-दरामद की कार्यवाही करें।
पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
अंराई
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Y
Date: 2023.11.28 13:21:45 IS
Reason: SelfAttested